न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/03/2020	2021/00014	02.03.2020	31.05.2022

उनवान

01. श्रीमती सरती बेवा रतन लाल
02. चेतराम पुत्र रतनलाल जाति मेघवाल वारिस काबिज जायदाद मृतक रतनलाल पुत्र ताराचंद पुत्र जीवा
03. सेवाराम पुत्र धनीराम
04. मामराज पुत्र स्व0 धनीराम
05. सुखराम पुत्र स्व0 धनीराम जाति मेघवाल वारिस काबिज जायदाद मृतक धनीराम पुत्र ताराचंद पुत्र जीवा
06. मु0 सामोती बेवा पूरण
07. राजू पुत्र स्व0 पूरण
08. छुद्दू उर्फ भगत पुत्र स्व0 पूरण
09. बब्बू पुत्र स्व0 पूरण
10. सोनू पुत्र स्व0 पूरण जाति मेघवाल वारिस काबिज जायदाद मृतक पूरण पुत्र भूरजी जीवा।
11. प्यारेलाल पुत्र स्व0 किरोडी
12. किशोर पुत्र स्व0किरोडी
13. मोहनलाल पुत्र स्व0 किरोडी जाति मेघवाल वारिस काबिज जायदाद मृतक किरोडी पुत्र जीवा
14. मु0 छन्नो बेवा पन्ना लाल
15. रोहिताश पुत्र स्व0 पन्नालाल
16. लीलू पुत्र स्व0 श्री पन्नालाल
17. राकेश पुत्र स्व0 पन्नालाल जाति मेघवाल वारिस काबिज जायदाद पन्ना लाल पुत्र किरोडी पुत्र जीवा
18. रामजीलाल पुत्र स्व0 धन्ना।
10. रामसिंह पुत्र स्व0 धन्ना जाति मेघवाल वारिस काबिज जायदाद मृतक धन्ना पुत्र जीवा निवासीयान कस्बा रामगढ जिला अलवर।

—अपीलांट्स

बनाम

01. तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

—रेसपोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश 11.12.2019. तहसीलदार रामगढ इन्तकाल संख्या 961 दिनांक 07.10.2019 वाके ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अवलर राज0

उपस्थितः—

01—श्री पुष्कर राज मुखीजा — वकील अपीलांट

02—श्री जगदीश चंद सतीजा — वकील अपीलांट नं—2

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

जायदाद मृतक किरोडी पुत्र जीवा

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 11.12.2019 जिसके द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 961 निर्णय दिनांक 07.10.2019 ग्राम रामगढ जिला अलवर खिलाफ कानून अस्वीकृत किया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी वहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजीयात हाल खसरा नम्वर 1106 रकवा 0.34, 1107/0.49, 1105/0.24, 1120/1.68, 1108/0.03, 1103/0.30, 1104/0.36, 1109/0.73 वाके ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी अपीलाण्ट के वुजुर्ग जीवा पुत्र नत्थू चमार के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। उक्त आराजी पर जीवा जीवन पर्यन्त कार्य काश्त करता रहा और उसकी मृत्यु के उपरान्त पुत्रान ताराचंद, भूरजी, किरोडी, व धन्ना काविज होकर काश्त करते रहे और उनके देहान्त के पश्चात हम समस्त अपीलाण्ट वैसियत वारिस मृतक जीवा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और मौंके पर वास्तविक रूप से काविज है, जिस आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नहीं है। उक्त आराजी बंदोबस्त संवत् 2020 में खिलाफ कानून व खिलाफ मौंका साविक खसरा नम्बरान 833, 834, 835 में माफी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज दर्ज कर दिया गया और हमारे वुजुर्गान का नाम बिना किसी आधार के डिलीट कर दिया गया, जिस गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने के लिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ में अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत राजस्व वाद संख्या 1/22/2018 उनवान चेतराम वगै० वनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर व तहसीलदार रामगढ तथा मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के विरूद्ध पेश किया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने व विश्वेदारी जप्ती उन्मूलन से पूर्व ही अपीलाण्ट के पूर्व आराजी पर काविज चले आ रहे थे, जिस कारण से वह खातेदार हो गये परन्तु कागजात माल में गलत इन्द्राज होने के कारण अपीलाण्ट के वारिसान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में वाद दायर करना पड़ा। प्रस्तुत वाद में दिनांक 16.08.2019 को अपीलाण्ट/वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आदेश दिया कि आराजी हाल ख0नं0 1106/0.34, 1107/0.49, 1105/0.24 , 1120/1.68, 1108/0.03, 1103/0.30, 1104/0.36, 1109/0.73, है0 वाके ग्राम कस्बा रामगढ तहसील रामगढ का वादी संख्या 01 लगायत 05 का 1/4 हिस्सा व मृतक पूरन के वारिसान वादी संख्या 06 लगायत 10 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या–11 प्यारेलाल, वादी संख्या–12 किशोर, वादी संख्या 13 मोहन लाल व मृतक पन्नालाल के वारिसान वादी संख्या–14 लगायत 17 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 18 व 19 का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता और राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्वरों में जहां जहां भी मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी महाराज का नाम दर्ज है, उसे कलमजन किये जाने आदेश दिये गये। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2020 में खसरा नम्बर 682/2 रकवा 16 वीघा 14 विस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 681/1 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा का अंकन राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर वादीगण के नाम का इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया साथ ही आराजी खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.23 है0 जागीरदारी विस्वेदारी उन्मूलन के समय में ही मन्दिर खुद काश्त दर्ज होने में खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.23 है0 मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज खुदकाश्त रहेगा। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2019 की सत्य प्रतिलिपि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार रामगढ को वास्ते मुताबिक निर्णय पालना करने हेतु प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार द्वारा बाद रिपोर्ट/जांच कर मुताबिक आदेश दिनांक 07.10.2019 को नामान्तकरण संख्या 961 स्वीकृत किया जिसका इन्द्राज कागजात माल में दर्ज होने के उपरान्त दिनांक 09.10.2019 को जमाबंदी की नकल सम्वत् 2074–2077 प्राप्त की जिसमें अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। दिनांक 06.02.2020 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट को बताया गया कि तहसीलदार रामगढ द्वारा उनके पक्ष में नामान्तकरण संख्या 961 दिनांक 07.10.2019 को स्वीकृत किया गया था। वह बाद में तहसीलदार रामगढ द्वारा दिनांक 11.12.2019 को निरस्त कर दिया है, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 07.02.2020 को तहसीलदार रामगढ में नकल हेतु आवेदन किया जो नकल अपीलाण्ट को दिनांक 12.02.2020 को प्राप्त हुई। तहसीलदार रामगढ द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 07.10.2019 को नामान्तकरण संख्या 961 पूरी जांच करने के पश्चात स्वीकृत किया तथा उसका अमल भी जमाबन्दी में हो गया फिर बिना किसी आधार के और बिना अपीलाण्ट को सुने अपनी मनमर्जी से दिनांक 11.12.2019 को (2 माह 4 दिन पश्चात) इन्तकाल संख्या 961 पर यह नोट लगा दिया कि "पुनश्च: जांच की गई जिसमें नामान्तकरण बिना इजराय के दर्ज किया गया था। जिसमें न्यायालय के इजराय के/जिला कलक्टर विधि विभाग में मन्दिर की जमीन होने के कारण मार्गदर्शन लिया जाना चाहिये था। अतः नामान्तकरण अस्वीकृत किया जाता है।" तहसीलदार रामगढ का उक्त आदेश सरासर खिलाफ कानून व अपनी मनमर्जी का आदेश है, जिस आदेश में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश की सरासर अवहेलना की गई है। दिनांक 07.10.2019 को स्वीकृत किये गये नामान्तकरण को बिना किसी उचित आधार के दिनांक 11.12.2019 (2 माह 4 दिन पश्चात) निरस्त किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील बिना देरी दिनांक 02.03.2020 को मामूलन अन्दर अवधि जानकारी में प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट को दिनांक 09.10.2019 से 12.02.2020 तक तहसीलदार रामगढ़ द्वारा बदले गये आदेश की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त अवधि मियाद में कण्डोन किये जाने योग्य है। जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावें तथा तहत अदालत द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 961 निर्णय दिनाक 07.10.2019 को पुनः अस्वीकार किये जाने का आदेश दिनाक 11.12.2019 को पारित किया गया है, को निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत के समर्थन में नजीर आर.आर.डी–14.06.2014 पेज न0 397 पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने तहत अदालत के आदेश दिनांक 11.12.2019 जिसके द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 961 दिनाक 07.10.2019 को अस्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 02.03.2020 को पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। हमनें न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 961 निर्णय दिनाक 07.10.2019 वाके ग्राम रामगढ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.08.2019 की पालना में दर्ज व स्वीकार किया गया है, जो बिना इजराय की कार्यवाही पूर्ण किये सिधे ही पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश किये जाने पर खोला गया है। तहत अदालत द्वारा की गयी गलती को सुधारने हेतु दिनाक 11.12.2019 को निर्णय लिया गया है, जो उचित प्रतित होता है। विधिक प्रावधान भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

है। वकील अपीलान्ट द्वारा पेश नजीर आर.आर.डी–14.06.2014 पेज न0 397 प्रकरण में चस्पा नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनाक 31.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-05-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)